राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2018-2019

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2018–2019

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	1
2.	विभाग की स्थापना एवं गठन	2
3.	वर्ष 2018–19 की उपलब्धियां	3–4
4.	अभाव स्थिति	5
5.	मानसून की स्थिति	5–6
6.	ओलावृष्टि की स्थिति	6
7.	पशु संरक्षण गतिविधियाँ	6
8.	अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति	6
10.	अग्नि पीड़ितों को सहायता	7
11.	राजस्थान राहत कोष	7
12.	राज्य/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति	8

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासनिक ढ़ांचा	9
2.	विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची	10
3.	स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति	11
4.	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	12
5.	राज्य कार्यकारिणी समिति	13
6.	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	14
7.	राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि प्राप्तियां एवं व्यय की स्थिति	15
8.	अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	16
9.	अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	17
10.	आपदावार नोडल विभागों की सूची	18
11.	अभाव की स्थिति	19
12.	वर्षा की स्थिति	20

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

परिचय

राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 515.00 लाख है तथा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 170.48 लाख है। जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 75.13 प्रतिशत ग्रामीण व 24.87 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है।

राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। राज्य की जलवायु अर्द्ध शुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भू–भाग का 10.4 प्रतिशत है, जबकि कुल जल संसाधन का केवल 1 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है। उत्तर–पश्चिमी रेतीले भाग में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.77 करोड पशुधन हैं जो कि देश की कुल पशु संख्या का 11.27 प्रतिशत है।

राजस्थान के निवासियों को किसी न किसी रूप में लगभग हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान बनने के पश्चात केवल वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–91 व 1994–95 को छोड़कर अन्य वर्षो में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार विद्यमान रही है।

वर्ष 2015–16 के समंकों के अनुसार प्रदेश में सकल बोये गये 250.14 लाख हैक्टेयर भूमि में से 105.62 लाख हैक्टेयर ही सिंचित भूमि है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की 77.55 लाख हेक्टेयर (97.69 प्रतिशत) भूमि कुओं, नलकूपो तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुओं का जलस्तर बहुत नीचे है तथा कुछ जगह पानी फ्लोराइड युक्त व खारा भी है जो कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं होता है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई कुओं व नलकूपो से होती है तथा कम वर्षा के समय अक्सर कुएं व नलकूप सूख जाते हैं अथवा जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती है।

विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.4.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है जिसके अनुसरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.12.2002 में दिये गये दिशा निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 30.10.2003 से सहायता विभाग का नाम बदल कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग कर दिया गया हैं।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है, जो शासन सचिव एवं आयुक्त, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन कार्य करता है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में अगस्त 1, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढांचा **परिशिष्ट–1**, विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–2**, विभाग में स्वीकृत पदों की स्थिति **परिशिष्ट–3** पर दर्शायी गयी है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर सहायता गतिविधियों का नियंत्रण, प्रतिपादन एवं समन्वय करते हैं।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

वर्ष 2018–2019 (माह दिसम्बर, 2018 तक) की उपलब्धियाँ

1. राज्य कार्यकारी समिति की बैठक वर्ष 2018–19 (माह दिसम्बर, 2018 तक) में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2018 को आयोजित की गई, उक्त बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

   - एसडीआरएफ के अन्तर्गत उपलब्ध राशि को 90 दिवस या आवश्यकतानुसार ट्रेजरी ऑक्शन बिलों में वित्त मार्गोपाय विभाग के माध्यम से विनिवेश किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि एसडीआरएफ में अतिरिक्त उपलब्ध राशि 600 करोड रूपये वित्त मार्गोपाय विभाग के माध्यम से ट्रेजरी ऑक्शन बिलों में विनिवेश किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

   - राज्य कार्यकारी समिति द्वारा खाद्य भवन, शासन सचिवालय के कमरा नम्बर 7310 में वी.सी. रूम स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं इसके लिये आवश्यक उपकरण के व्यय एस.डी.आर.एफ. से किये जाने हेतु स्वीकृति दी गयी तथा उपरोक्त वी.सी. रूम एनआईसी के सहयोग से स्थापित करवाये जाने की स्वीकृति दी गई।

2. राज्य में आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं मे जलने, डूबने तथा मकान ढहने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रुपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गयी है।

3. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 23 की अनुपालना में भारत सरकार के निर्देशानुसार विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाकर लागू कर दी गई है।

4. अनुच्छेद 31 की अनुपालना में अधिकांश जिलों की जिला आपदा प्रबन्धन योजनाये तैयार की जा चुकी है , जिनको समय –समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

5. आपदाओं के प्रबन्धन में संसाधनों व जन शक्ति की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी India Disaster Resource Network (IDRN) वेब साइट के माध्यम से समय–समय पर जिलों द्वारा अद्यतन की जा रही है।

6. भारत सरकार को आपदा प्रबन्धन की वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट भिजवाई जा चुकी गई है।

7. सम्वत 2074 में राज्य के 13 जिलें यथा बाडमेर, भीलवाडा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर एवं सवाई माधोपुर के 5092 गांवों को खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित कर प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई है एवं प्रभावित जिलों में राहत गतिविधियों का संचालन कर राहत प्रदान की गई है।

8. सम्वत् 2074 में राज्य के 2 जिलों यथा श्रीगंगानगर एवं सीकर के 25 गांवो को रबी फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

9. सम्वत् 2075 में श्रीगंगानगर जिले के 22 गांवों को ओलावृष्टि से प्रभावित होने के कारण खरीफ फसल 2018 (सम्वत् 2075) के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

10. सम्वत् 2075 में राज्य के 9 जिलो यथा बाडमेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं पाली के 5555 गांवो को सूखे के कारण खराबा होने पर खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

11. अधिसूचना क्रमांक 6282–340 दिनांक 17.04.2018 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्याक 2005 का 53) की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा तेज आंधी/अंधड तूफान, जिससे वृहत् स्तर पर जान व माल की हानि हो, को राज्य की विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

12. विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन के क्रम में एक वेब आधारित कम्प्यूटर एप्लीकेशन राजकॉम्प के माध्यम से तैयार करवायी गई,जिसके माध्यम से जिलों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु मदवार ऑनलाइन डिमाण्ड की जाती है जिसकी विभाग संवीक्षा कर ऑनलाइन बजट आवंटन करता है। इसके अतिरिक्त विभाग विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट, आवंटन–व्यय पर नियन्त्रण, एसी–डीसी बिलों की प्रगति आदि की सूचना भी इसी वैब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा रही है।

अभाव स्थिति

1. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 12930–49 दिनाक 16.11.2017, 6198–242 दिनांक 17.04. 2018 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 11396–420 दिनांक 30.07.2018 द्वारा सम्वत 2074 में राज्य के 13 जिलों यथा बाडमेर, भीलवाडा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर एवं सवाई माधोपुर के 5092 गांवों को खरीफ फसल सम्वत 2074 के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।
2. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8107–30 दिनांक 14.05.2018 द्वारा सम्वत् 2074 में राज्य के 2 जिलों यथा श्रीगंगानगर एवं सीकर के 25 गांवो को रबी फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।
3. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18721–40 दिनांक 13.11.2018 द्वारा सम्वत् 2075 में श्रीगंगानगर जिले के 22 गांवों को ओलावृष्टि से प्रभावित होने के कारण खरीफ फसल 2018 (सम्वत् 2075) के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।
4. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18874–94 दिनांक 19.11.2018 द्वारा सम्वत् 2075 में राज्य के 9 जिलो यथा बाडमेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं पाली के 5555 गांवो को सूखे के कारण खराबा होने पर खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

मानसून 2018

राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिनांक 27.06.2018 को प्रवेश किया। जल संसाधन विभाग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में 1 जून 2018 से 30 सितम्बर 2018 तक की सामान्य वर्षा 530.08 मि.मी. के विरूद्ध 532.77 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो कि सामान्य से 0.50 प्रतिशत ज्यादा है। मानसून सत्र में 1 जून, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 तक हुई वर्षा के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है:–

क्र. सं.	श्रेणी	नाम जिले	संख्या
1.	असामान्य वर्षा (सामान्य से 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक)	–	0
2.	अधिक वर्षा (सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत)	बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, सीकर	5
3.	सामान्य वर्षा (सामान्य से (+) 19 प्रतिशत से (–) 19 प्रतिशत तक)	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ, चूरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर, झालावाड, झुन्झुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ, राजसमंद, टोंक, उदयपुर	20
4.	कम वर्षा (सामान्य से (–) 20 प्रतिशत से (–) 59 प्रतिशत)	बाडमेर, हनुमानगढ, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली	6
5	न्यून वर्षा (सामान्य से (–) 60 प्रतिशत व इससे कम)	जालौर, सिरोही	2

मानसून अवधि दिनांक 30.9.2018 तक राज्य के वृहद, मध्यम एवं लघु बाँधों (4.25 Mcum भराव क्षमता से अधिक क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 11920.81 Mcum की तुलना में 7517.8 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 63.06 प्रतिशत है। राज्य के छोटे बाँधों (4.25 Mcum से कम भराव क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 981. 65 Mcum की तुलना में 302.43 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 30. 81 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य के सभी छोटे व वृहद बाँधों में उनकी कुल भराव क्षमता का 60.61 प्रतिशत पानी दिनांक 30.9.2018 को भरा हुआ था।

मानूसन सत्र 2018 में राज्य में हुई वर्षा तथा गत 2 वर्षो से इसकी तुलना का जिलेवार विवरण **परिशिष्ट–12** पर उपलब्ध है।

ओलावृष्टि

ओलावृष्टि से प्रभावित मृतकों, घायलों, फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता एवं पशुओं के लिये भी एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

राज्य में वर्ष 2018 (सम्वत 2074 रबी) में राज्य के 2 जिले यथा श्रीगंगानगर एवं सीकर में ओलावृष्टि से 25 गॉव प्रभावित हुए है। राज्य में खरीफ फसल 2018 (सम्वत 2075) में एक जिला श्रीगंगानगर में ओलावृष्टि हुई है जिसमें 22 गॉव प्रभावित हुए है। प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

पशु संरक्षण गतिविधियाँ –

सम्वत 2074 में अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित 556 घोषित पशुशिविरों के बडे एवं छोटे कुल 1.83 लाख पशुओं हेतु राहत सहायता की स्वीकृति की गई।

अतिवृष्टि/बाढ़

राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति एवं किये गये बचाव कार्य

1. राज्य में आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में जलने, डूबने तथा मकान ढ़हने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गयी है।
2. मानसून वर्ष 2018 में राज्य में बहने/डूबने के कारण 07 व्यक्तियों एवं आकाशीय बिजली के कारण 10 व्यक्तियों कुल 17 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनको एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता प्रदान की गई है।

अग्नि पीड़ितों को सहायता

जिला कलक्टरों को स्थायी निर्देश हैं कि अग्नि दुर्घटना से होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीड़ितों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जावे। वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 (माह दिसम्बर, 2018 तक) में क्रमशः 741.53 लाख एवं 414.00 लाख रूपये की राशि अग्नि पीडित परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु जिलों को उपलब्ध करवाई गई।

राजस्थान राहत कोष

एस.डी.आर.एफ. में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में रूपये 5.00 करोड़ की राशि का प्रावधान करके उक्त कोष का गठन किया गया है। इस कोष का प्रबंधन/संचालन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इस कोष में दिये गये अंशदान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी में छूट का प्रावधान दिनांक 31.3.2022 तक किया गया है।

दिनांक 06.07.2010 को राजस्थान राहत कोष की राज्य स्तरीय समिति की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में राजस्थान राहत कोष की आय नाममात्र की रह जाने के कारण इस कोष में प्रतिवर्ष 25.00 लाख रूपये का बजटीय प्रावधान करवाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव बजट निर्णायक समिति में शामिल किया जाने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट प्रावधानों (B.E.) में 25.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में रूपये 1.81 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रूपये 25.36 लाख राशि जिलों को बचाव/राहत कार्यों हेतु उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2013–14 के लिये अंकेक्षण पर 7,416/– रूपये तथा वर्ष 2014–15 के लिये अंकेक्षण पर 7,524/– रूपये व्यय किया गया। वर्ष 2015–16 के लिये अंकेक्षण पर 7500/–रूपये व्यय किया गया ।

वर्तमान में इस कोष में बचाव कार्यों हेतु रूपये 5.93 करोड़ की धन राशि उपलब्ध है।

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) बजट प्रावधान एवं व्यय

राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र व राज्य सरकार के अंशदान के रुप मे वर्ष 2011–12 से 2018–19 की अवधि के दौरान वर्षवार केन्द्रीय एवं राज्य अंशदान की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	भारत सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	योग
2011-12	473.02	157.67	630.69
2012-13	496.67	165.55	662.22
2013-14	521.50	173.83	695.33
2014-15	547.58	182.52	730.10
2015-16	827.25	275.75	1103.00
2016-17	868.50	289.50	1158.00
2017-18	912.00	304.00	1216.00
2018-19	957.75	319.25	1277.00
योग	**5604.27**	**1868.07**	**7472.34**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में मूल बजट प्रावधान मद 2245–01 सूखा व 02 बाढ़ चक्रवात आदि के लिये 1277.00 करोड़ रुपये स्वीकृत है।

वर्ष 2013–14 से 2018–2019 के अन्तर्गत आपदा राहत कोष/राज्य आपदा मोचन निधि की स्थिति परिशिष्ट 7 पर एवं वर्ष 2015–16 से 2018–19 (माह दिसम्बर, 2018 तक) में इस कोष के अन्तर्गत अकाल राहत गतिविधियों व अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 8 व परिशिष्ट 9 पर उपलब्ध है।

Administrative Set-up

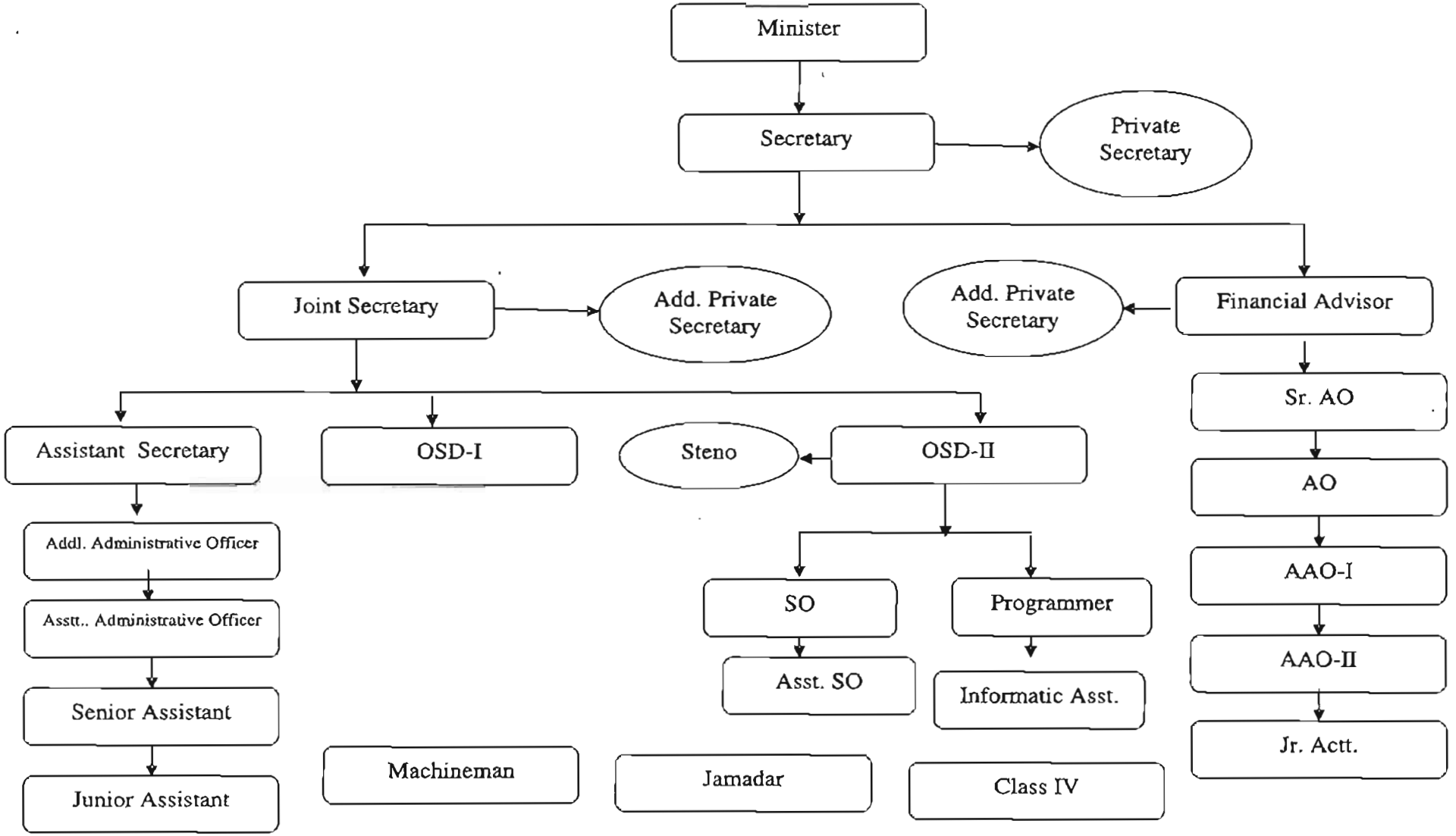

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	पद नाम	नाम अधिकारी	दिनांक से विभाग में कार्यरत
1	शासन सचिव	श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर	19.12.2018
2	शासन विशिष्ट सचिव	रिक्त	–
3	शासन उप सचिव	डॉ. अनिल पालीवाल	30.09.2015
4	वित्तीय सलाहकार	श्री लखपत मीणा	21.12.2017
5	सहायक शासन सचिव	श्री रामखिलाड़ी मीना	20.06.2016
6	विशेषाधिकारी (2)	श्री बिजेन्द्र सिंह	30.03.2011
		श्री देशराज मीणा	28.04.2015
7	वरिष्ठ लेखाधिकारी	श्री राम सिंह कल्याण	05.02.2018
8	लेखाधिकारी	श्री मनोज कुमार गरवा	07.12.2016
9	सांख्यिकी अधिकारी	श्री कुंजबिहारी खण्डेलवाल	18.03.2016
10	अतिरिक्त निजी सचिव (2)	श्री दिनेश कुमार सारोलिया	16.09.2016
		रिक्त	
11	सहायक लेखाधिकारी, प्रथम (2)	श्री शंकरलाल मीणा	15.12.2016
		श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया	01.04.2016
12	प्रोग्रामर	श्री शिवेन्द्र वार्ष्णेय	03.08.2018
13	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	श्री रविशंकर हाडा	26.03.2018

परिशिष्ट–3

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र.स.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	शासन सचिव	1	–
2.	विशिष्ठ शासन सचिव	1	1
3.	शासन उप सचिव	1	–
4.	वित्तीय सलाहकार	1	–
5.	शासन सहायक सचिव	1	–
6	विशेषाधिकारी	2	–
7	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	–
8	निजी सचिव	1	–
9	लेखाधिकारी	1	–
10	सांख्यिकी अधिकारी	1	–
11	अति. निजी. सचिव	2	1
12	प्रोग्रामर	1	–
13	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	2	–
14	अति.प्रशासनिक अधिकारी	1	–
15	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	32	8
16	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	–
17	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	7	–
18	कनिष्ठ लेखाकार	4	1
19	शीघ्र लिपिक	2	1
20	वरिष्ठ सहायक	21	8
21	सूचना सहायक	2	1
22	कनिष्ठ सहायक	30	5
23	मशीन मैन	1	–
24	जमादार	3	–
25	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	2

राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित नौ सदस्यों से मिलकर गठित होगाः–

1.	मुख्यमंत्री, राजस्थान
2.	प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
3.	प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार
4.	प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
5.	प्रभारी मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार
6.	प्रभारी मंत्री, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
7.	प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार
8.	प्रभारी मंत्री, कृषि और पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार
9.	प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राजस्थान सरकार

1. प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जावे, तो किसी मंत्री या राज्य मंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
2. जब कभी वांछनीय समझा जावे, राज्य प्राधिकरण उसके कृत्यों में सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।
3. मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।
4. राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का पदेन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
5. राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।

राजस्थान राज्य कार्यकारिणी समिति, आपदा प्रबन्धन
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सदस्य सचिव

राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता के लिये विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

प्रत्येक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा

1.	कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	प्रमुख, जिला परिषद	सह अध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	जिले के लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6.	जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
7.	अपर कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पदेन(सहायता अनुभाग का भारसाधक)	

प्राधिकरण के, निम्नलिखित, स्थायी आमंत्रित होंगेः–

1. जिले से निर्वाचित सांसद (लोकसभा) सदस्य।
2. जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य।
3. जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी।
4. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझें, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
5. जिला प्राधिकरण, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, सहयुक्त कर सकेगा, यदि प्राधिकरण यह वांछनीय समझे कि उसकी उपस्थिति तुरन्त निवारण, शमन और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है।

POSITION OF SDRF/NDRF

(Rs.in Crore)

Funds	SDRF/NDRF 2013-14	SDRF/NDRF 2014-15	SDRF/NDRF 2015-16	SDRF/NDRF 2016-17	SDRF/NDRF 2017-18	SDRF/NDRF 2018-19 (Upto 31-12-2018)
1	2	3	4	5	6	7
(A) SDRF						
Opening Balance	1141.99	999.22	288.02	209.40	326.05	83.27
Central Share	521.50	547.58	827.25	868.50	912.00	957.75
State Share	173.83	182.52	275.75	289.50	304.00	319.25
Receipt from Interest	75.02	59.67	-	22.17	50.08	-
Received from GOI	-	-	1378.13	990.82	301.65	1277.00
Funds transferd by State Govt. in SDRF	0.53	-	-	-	-	-
Total Funds Available under SDRF	1912.87	1788.99	2769.15	2380.39	1893.78	2192.53
Expenditure	**913.65**	**1570.57**	**2559.75**	**2054.34**	**1810.51**	**891.28***
Closing Balance	**999.22**	**218.42**	**209.40**	**326.05**	**83.27**	**1301.25**
(B)NDRF	-	-	-	-	-	-
Opening Balance	69.60	69.60	-	-	-	-
Receipts	-	-	-	-	-	-
Total Fund Available under NCCF	69.60	69.60	-	-	-	-
Allotment Made	-	-	-	-	-	-
Closing Balance	69.60	69.60	-	-	-	-
Total Funds available Under SDRF& NDRF(A+B)	**1,068.82**	**288.02**	**209.40**	**326.05**	**83.27**	**1301.25**

* Amount of Allotment

वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–2017	वर्ष 2017–2018	वर्ष 2018–2019 (दिनांक 31-12-2018 तक आवंटित राशि)
1	2	3	4	5	6
1	अनुग्रह सहायता	-21.17	3.50	-0.71	-
2	पीने के पानी की आपूर्ति	958.40	2081.53	73.20	520
3	चारा परिवहन	478.04	-	0.92	-
4	पशु पोषण केन्द्र	-	-	-	-
5	पशु शिविर/गौशाला	20864.64	12807.40	13183.55	3218.00
6	पशु चिकित्सा	-	-	-	-
7	दवाओं की पूर्ति	-	-	-	-
8	अन्य विशेष राहत कार्य	-	-0.74	-	-
9	अग्नि सहायता	635.88	765.33	741.53	414.00
10	सर्च एवं रेस्क्यू एव प्रशिक्षण	64.50	244.90	365.65	262.00
11	कृषि आदान अनुदान	7128.17	175506.33	114419.72	67331.00
12	अन्य सहायता	1.48	16.40	349.36	20.00
	योग	**30109.94**	**191424.65**	**129133.22**	**71765.00**

परिशिष्ट–9

वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	गतिविधियाँ	वर्ष			
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (दिनांक 31-12-2018 तक आवण्टित राशि)
1	2	3	4	5	6
1.	आनुग्रहिक राहत	190.76	8.78	468.65	30.00
2.	पीने के पानी की आपूर्ति	-	-	-	-
3.	पशु चिकित्सा	-	-	-	-
4.	सड़कों की मरम्मत	4053.96	6618.78	6950.58	-
5.	बिजली पुनरूद्धार	-	-	-	-
6.	सर्च, रेसक्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय	261.76	330.64	1048.98	741.00
7.	प्रशिक्षण	-	-	-	-
8.	खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	-	-	-	-
9.	खराब जल पूर्ति, जल निकासी एवं जल मल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	1586.10	-	-	-
10.	शोकार्त परिवारों को सहायता	336.54	316.00	245.50	320.00
11.	घरों की मरम्मत	3031.63	372.24	2928.08	209.00
12.	ओलावृष्टि से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	214979.73	6050.25	9636.47	2744.00
13	बाढ से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	-	-	29733.04	11683.00
14	डिसिल्टिंग	522.33	-	-	-
15.	पशु धन क्रय के लिये किसानों को सहायता	310.72	12.08	528.49	51.00
16.	खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धि कार्य	591.91	300.77	259.01	1539.00
17.	अन्य सहायता (हेलिकाप्टर)	-	-	119.56	-
18.	अन्य सहायता	-	-	-	46.00
	योग	**225865.44**	**14009.54**	**51918.36**	**17363.00**

List of Nodal Departments

S.No.	Name of Nodal Department	Related Disaster
1.	Disaster Management & Relief	Droughts, Hailstorms, Heat Wave,Frost and Cold wave, Thunder & Lightning, Cyclones
2.	Energy	Disaster involving power generation/ distribution/ transmission
3.	Home	Terrorist attack, Police Mutiny, Major Law & Order crisis, Nuclear, Chemical and Biological & Nuclear and Radiological disaster/Air, Road and Rail Accidents, Festival related disaster,
4.	Water Resources	Floods, Flash Floods, Dam Bursts & Cloudbursts
5.	PWD	Earthquake, Major Building Collapse, Landslides
6.	Mines & Petroleum	Mine Fire and Mine Flooding,Oil Spill
7.	Industries	Chemical & Industrial Disasters
8.	UDH	Urban Fires
9.	Revenue	Village Fire and Boat Capsizing
10.	Forests	Forest-Fire
11.	Medical & Health	Biological and Epidemic, Food Poisoning
12.	Agriculture	Pest Attack
13.	Animal Husbandry	Epidemic in Animal Population

परिशिष्ट–11

EXTENT OF SCARCITY (Kharif - Drought)
SAMVAT 2075

क्र. सं.	जिला	जिले के कुल गांवो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गांवो की संख्या (33 से 100 प्रतिशत खराबे वाले)	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खराब हुई फसल (33 से 100 प्रतिशत) का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्रभावित ग्रामों की संख्या			खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	कुल पशु संख्या (लाखों में)	प्रभावित पशु संख्या (लाखों में)
								33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बाड़मेर	2775	2741	24.85	2375632	1518190	1261513	47	503	2191	253197.54	647661	617748	53.67	47.40
2	हनुमानगढ़	1917	171	3.14	903854	785554	223515	2	160	9	55680.00	0	0	13.31	1.43
3	जैसलमेर	849	806	6.41	2838119	707904	551509	20	136	650	20094.17	499467	340945	31.95	10.4
4	जालौर	814	680	15.18	859433	561334	397741	85	83	512	127733.84	0	0	16.31	6.96
5	जोधपुर	1881	554	6.28	1918408	1306456	312059	71	402	81	83337.50	0	0	35.90	4.90
6	पाली	1058	80	3.19	831056	551579	34143	77	3	0	1106.00	0	0	23.02	0.51
7	बीकानेर	958	189	4.49	2592757	1478287	297376	56	104	29	37006.00	0	0	27.73	7.62
8	चुरू	917	163	4.27	1267774	1106680	231851	59	74	30	33503.25	0	0	18.50	4.56
9	नागौर	1645	171	4.69	1516396	1220813	186851	.34	137	0	21029.85	526263	526263	31.50	2.81
योग		**12814**	**5555**	**72.5**	**15103429**	**9236797**	**3496558**	**451**	**1602**	**3502**	**632688.15**	**1673391**	**1484956**	**251.89**	**86.59**

Districtwise Average Rainfall
1st June to 30th September (2016 – 2018)

S. No.	District	2016			2017			2018		
		Normal Rainfall	Actual	% Deviation	Normal Rainfall	Actual	% Deviation	Normal Rainfall	Actual	% Deviation
	Ajmer Division									
1.	Ajmer	429.60	534.80	24.5	429.60	483.40	12.52	429.60	411.83	- 4.1
2.	Bhilwara	580.90	817.31	40.7	580.90	517.73	-10.87	580.90	567.18	- 2.4
3.	Nagaur	348.50	436.54	25.3	348.50	371.31	6.54	348.50	279.71	- 19.7
4.	Tonk	566.00	726.38	28.3	566.00	416.38	-26.44	566.00	512.29	- 9.5
	Bharatpur Division									
5.	Bharatpur	557.60	645.35	15.7	557.60	330.91	-40.65	557.60	706.96	26.8
6.	Dholpur	650.00	656.17	0.9	650.00	344.67	-46.97	650.00	726.43	11.8
7.	Karauli	637.40	758.67	19.0	637.40	321.15	-49.62	637.40	628.40	-1.4
8.	S.Madhopur	664.00	909.38	37.0	664.00	377.00	-43.22	664.00	876.75	32.0
	Bikaner Division									
9.	Bikaner	228.70	268.38	17.3	228.70	212.63	-7.03	228.70	254.05	11.1
10.	Churu	313.70	398.33	27.0	313.70	278.00	-11.38	313.70	324.74	3.5
11.	Ganganagar	201.40	140.56	-30.2	201.40	136.03	-32.46	201.40	163.14	-19.0
12.	Hanumangarh	252.50	229.00	-9.3	252.50	236.57	-6.31	252.50	169.57	-32.8
	Jaipur Division									
13.	Alwar	555.30	633.65	14.1	555.30	297.53	-46.42	555.30	510.92	-8.0
14.	Dausa	612.10	863.88	41.1	612.10	320.50	-47.64	612.10	582.56	-4.8
15.	Jaipur	524.60	555.81	5.9	524.60	319.89	-39.02	524.60	523.09	-0.3
16.	Jhunjhunu	410.00	501.29	22.3	410.00	269.71	-34.22	410.00	412.69	0.7
17.	Sikar	402.50	485.38	20.6	402.50	296.38	-26.37	402.50	553.19	37.4
	Jodhpur Division									
18.	Barmer	243.40	260.27	6.9	243.40	464.40	90.80	243.40	125.15	- 48.6
19.	Jaisalmer	158.40	131.08	-17.2	158.40	222.33	40.36	158.40	111.87	- 29.4
20.	Jalore	394.20	430.93	9.3	394.20	919.78	133.33	394.20	152.30	- 61.4
21.	Jodhpur	274.50	367.07	33.7	274.50	334.65	21.91	274.50	217.10	- 20.9
22.	Pali	446.70	827.77	85.3	446.70	780.70	74.77	446.70	322.49	- 27.8
23.	Sirohi	868.60	823.75	-5.2	868.60	1566.78	80.38	868.60	339.18	- 61.0
	Kota Division									
24.	Baran	792.20	1161.13	46.6	792.20	546.00	-31.08	792.20	961.07	21.3
25.	Bundi	655.90	886.83	35.2	655.90	458.50	-30.10	655.90	596.56	- 9.0
26.	Jhalawar	855.10	1119.42	30.9	855.10	772.92	-9.61	855.10	931.87	9.0
27.	Kota	746.30	835.88	12.0	746.30	471.35	-36.84	746.30	772.77	3.5
	Udaipur Division									
28.	Banswara	831.80	1019.93	22.6	831.80	899.14	8.10	831.80	806.65	- 3.0
29.	Chittorgarh	709.70	1300.27	83.2	709.70	691.09	-2.62	709.70	667.08	- 6.0
30.	Dungarpur	637.80	844.75	32.4	637.80	824.83	29.32	637.80	767.85	20.4
31.	Pratapgarh	845.80	1266.80	49.8	845.80	1090.60	28.94	845.80	975.93	15. 4
32.	Rajsamand	506.00	794.86	57.1	506.00	728.43	43.96	506.00	510.50	0.9
33.	Udaipur	591.30	832.54	40.8	591.30	829.73	40.32	591.30	564.13	- 4.6
Avr. Rajasthan		530.08	678.56	28.0	530.08	514.25	(-) 2.98%	530.08	532.77	0.50%